

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCCV)/2019/382

दिनांक: 25.01.2019

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क्र.स. 1 वर्णित ठेका की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2020 तक एवं क्र.स. 2 से 16 पर वर्णित ठेकों की अवधि दिनांक 01-04-2019 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि, जो भी बाद में हो से 31-03-2021 तक होगी) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है :-

| क्र.स. | ठेके का कोड क्रमांक | कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है | ठेका क्षेत्र का विवरण | ठेके का प्रकार | खनिज का नाम | ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण | ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में) | बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि | ऑनलाईन बोली की दिनांक | ऑनलाईन बोली का समय |
|--------|---------------------|--|---|----------------|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 243 | सहायक खनि अभियन्ता, दौसा | जिला दौसा की तहसील बसवा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर | ईआरसीसी | चेजा पत्थर | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 3895000 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | 10.00 एएम से 12.00 दोपहर |
| 2 | 191 | खनि अभियन्ता, ब्यावर | जिला अजमेर की तहसील ब्यावर, मसूदा, विजयनगर व टाटगढ एवं जिला पाली की तहसील रायपुर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, ऑकर, केलसाईट एवं सोपरस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, ऑकर, केलसाईट एवं सोपरस्टोन | ईआरसीसी | क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, ऑकर, केलसाईट एवं सोपरस्टोन | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 102422100 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 10.00 एएम से 12.00 दोपहर |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--|--------------------|---|---|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 3 | 90A | खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी | जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन) पर अधिक अधिशुल्क एवं खननपट्टों के बाहर पड़े ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) के जारी किये जाने वाले परमिट से निर्गमित खनिज ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) पर अधिशुल्क | ईआरसीसी एवं आरसीसी | लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) एवं ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) | अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 334331400 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |
| 4 | 90B | खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी | जिला झालावाड की तहसील झालरापाटन, पिडावा एवं पचंपहाड की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) पर अधिक अधिशुल्क एवं खननपट्टों के बाहर पड़े ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) के जारी किये जाने वाले परमिट से निर्गमित खनिज ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) पर अधिशुल्क | ईआरसीसी एवं आरसीसी | लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन) एवं ओवरबर्डन (मेसेनरी स्टोन / कालीचाट) | अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 321220400 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 02.00 पीएम से 04.00 पीएम |
| 5 | 168 | खनि अभियन्ता, बीकानेर | जिला बीकानेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. तथा खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमितों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | ईआरसीसी एवं आरसीसी | जिप्सम | अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 574400000 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 04.00 पीएम से 06.00 पीएम |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------|---|------------------------|------------|--|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 6 | 213 | खनि अभियन्ता, बाडमेर | जिला बाडमेर (तहसील सिवाना एवं समदडी को छोडकर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ. टी. वसूली तथा जिप्सम के परमितों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम. एफ.टी. | ईआरसीसी एवं आर.सी. सी. | जिप्सम | अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम.एफ. टी. | 29574100 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 10.00 एएम से 12.00 दोपहर |
| 7 | 210 | खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर | जिला श्रीगंगानगर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. वसूली तथा खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमितों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम. एफ.टी. | ईआरसीसी एवं आर.सी. सी. | जिप्सम | अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमित शुल्क एवं डी.एम.एफ. टी. | 165600000 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |
| 8 | 86 | खनि अभियन्ता बाडमेर | जिला बाडमेर की तहसील शिव की राजस्व सीमा में खनिज बेन्टोनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बेन्टोनाईट | ईआरसीसी | बेन्टोनाईट | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 25000000 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 02.00 पीएम से 04.00 पीएम |
| 9 | 166 | सहायक खनि अभियन्ता, गोटेन | जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले | ईआरसीसी | चाईनाक्ले | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 52213100 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 04.00 पीएम से 06.00 पीएम |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|---------|---|--------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 10 | 179 | खनि अभियन्ता, बीकानेर | जिला बीकानेर की राजस्व सीमा में खनिज बालकले, सिलिका सैण्ड, चाइनाकले, फायरकले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बालकले, सिलिका सैण्ड, चाइनाकले, फायरकले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर | ईआरसीसी | बालकले, सिलिका सैण्ड, चाइनाकले, फायरकले, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 339950100 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 10.00 एएम से 12.00 दोपहर |
| 11 | 84 | खनि अभियन्ता बाडमेर | जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर के गांव भाखड़ा, कपूरड़ी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी | ईआरसीसी | मुलतानी मिट्टी | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 2054700 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |
| 12 | 240 | खनि अभियन्ता, सिसोही | जिला सिसोही की तहसील शिवगंज, पिण्डवाडा एवं रेवदर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट | ईआरसीसी | क्वार्टज, फ़ैल्सपार व केलसाईट | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 11380000 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |
| 13 | 186 | खनि अभियन्ता, भीलवाडा | जिला भीलवाडा की तहसील आसीन्द, बदनोर एवं हुरडा की राजस्व सीमा में खनिज अन्नक, फ़ैल्सपार, क्वार्टज व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अन्नक, फ़ैल्सपार, क्वार्टज व केलसाईट | ईआरसीसी | अन्नक, फ़ैल्सपार, क्वार्टज व केलसाईट | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 36000000 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |
| 14 | 187 | खनि अभियन्ता, भीलवाडा | जिला भीलवाडा की तहसील माण्डल, बनेडा व करेडा की राजस्व सीमा में खनिज अन्नक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अन्नक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज | ईआरसीसी | अन्नक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 13476100 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.00 दोपहर से 02.00 पीएम |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------------------|--|---------|---|--------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 15 | 185 | खनि अभियन्ता, भीलवाडा | जिला भीलवाडा की तहसील रायपुर, सहाडा, हमीरगढ व भीलवाडा की राजस्व सीमा में खनिज अभ्रक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज अभ्रक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज | ईआरसीसी | अभ्रक, फ़ैल्सपार व क्वार्टज | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 38771300 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 04.00 पीएम से 06.00 पीएम |
| 16 | 196 | खनि अभियन्ता, प्रतापगढ | जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर | ईआरसीसी | सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट एवं रेड ऑकर | अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. | 136600000 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 04.00 पीएम से 06.00 पीएम |

अ बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-1 का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने

ब ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।



- 2 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी। यदि उक्त विज्ञप्ति में वर्णित ठेकों के लिए एकल बिड (Single Bid) प्राप्त होगी तो उसे सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया जायेगा एवं उस ठेके की ई-ऑक्शन प्रक्रिया निरस्त की जायेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
 - i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावें।
 1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।
 - iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - vi PAN card / TIN की प्रति।
 - vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेन्स / मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
 - ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

नोट :-




1 समस्त ठेकों में किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।

यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

2 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

3 ई-ऑक्शन हेतु गार्डलार्इन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है।

4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस. टी.सी. की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।


(एन. के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक खान (मुख्यालय)

दिनांक: 25.01.2019

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC V)/2019/383-448

प्रतिलिपि :-

1- श्री उमेश चंद्र, Sr. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।


4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब- अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-1/ II/आमेत/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।

द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्वर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बारा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरु/ नीमकाथाना/सावर।


(ओ.पी. कम्बरा) 25/01/2019
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)